न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 09/2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र पुत्र पूर्ण यादव मिलन रेस्टोरन्ट, कैचियाँ तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपरिथतः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपरिथत।

—:निर्णयः—

दिनांकः —22.05.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2022 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग, व्यावसायिक दुरूपयोग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान कैचियाँ तहसील पीलीबंगा स्थित मिलन रेस्टोरन्ट की जांच की गई। मौके पर रेस्टोरन्ट में रामचन्द्र उपरिथत मिले जिन्होने स्वये को रेस्टोरन्ट का मालिक होना बताया। मालिक ने बताया कि रेस्टोरन्ट में विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। रेस्टोरन्ट में तलाशी के दौरान इण्डेन कम्पनी के 7 तथा भारतगैस कम्पनी के 10 (कुल 17) घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुंरी पाई गई। मौके पर रेस्टोरन्अ में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करना पाया गया तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाना पाया गया। चूँकि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये स्वयं के घर में किया जाता है तथा उसके द्वारा घरेलू उपयोग के अलावा भिन्न किसी परियोजन के लिये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौके पर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1) (C) का उल्लघन पाये जाने पर उक्त 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप रेगूलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुरी को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय सामग्री श्री रामवीर पुत्र श्री रामकुमार उम्र 23 वर्ष हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, गोदारा इण्डेन गैस एजेन्सी, बींझबायला की सुपुर्दगी में दिया गया। चूकिं श्री रामचन्द्र पुत्र पूर्ण यादव मिलन रेस्टोरन्ट कैचियां तहसील पीलीबंगा का उक्त कृत्य Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1) (C) का स्पष्ट उल्लघन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप रेगूलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुरी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

पत्रावली दर्ज होने को लगभग 2 वर्ष 3 माह हो चुके है। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.05.2025 को नोटिस जारी हो चुके है, परन्तु दिनांक 20.05.2025 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 7 तथा भारतगैस कम्पनी के 10 (कुल 17) घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर एम इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुंरी जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त इण्डेन कम्पनी के 7 तथा भारतगैस कम्पनी के 10 (कुल 17) घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुंरी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन कम्पनी के 7 तथा भारतगैस कम्पनी के 10 (कुल 17) घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुंरी जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के 7 तथा भारतगैस कम्पनी के 10 (कुल 17) घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक विद्युत चालित मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बासुंरी को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज०)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ